रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940
No. 122] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018

आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.028.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङक) धारा 5 की उपधारा (16) के अधीन "समापन लागत" से अभिप्रेत है–

(क) विनियम 4 के अधीन परिसमापक को संदेय फीस;

(ख) विनियम 7 के अधीन परिसमापक द्वारा संदेय पारिश्रमिक;

(ग) विनियम 24 के अधीन परिसमापक द्वारा उपगत लागत; और

(घ) अंतरिम वित्तपोषण पर, बारह मास की अवधि के लिए या समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से अंतरिम वित्तपोषण के पुनर्संदाय तक की अवधि के लिए, जो भी निम्नतर हो, ब्याज।"।

3. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) में, 'कंपनी सचिव' शब्दों के स्थान पर 'सचिवीय लेखापरीक्षक' शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 32 में,-

(I) खंड (ख) में, उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) पार्सलों में आस्तियां; या";

(II) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) कारपोरेट ऋणी को चालू समुत्थान के रूप में विक्रय करता है"।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./494/17]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी. 005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (LIQUIDATION PROCESS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. IBBI/2017-18/GN/REG028.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on 1st April, 2018.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ea) "liquidation cost" under sub-section (16) of section 5 means-

(a) fee payable to the liquidator under regulation 4;

(b) remuneration payable by the liquidator under regulation 7;

(c) cost incurred by the liquidator under regulation 24; and

(d) interest on interim finance for a period of twelve months or for the period from the liquidation commencement date till repayment of interim finance, whichever is lower.".

3. In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (1), in clause (c), in sub-clause (i), for the words 'company secretaries', the words 'secretarial auditors' shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 32, -

(I) in clause (b), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(iii) the assets in parcels; or";

(II) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely**:-**

"(c) sell the corporate debtor as a going concern**.".**

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./494/17]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 on 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 460 dated 15th December, 2016 and these have not been amended so far.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.04.03 11:27:07 +05'30'